पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 87/2025

उनवान :

1. जगदीश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा। :— वादी

बनाम

1. काशीराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. सतवीर पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. जयपाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. दलीप पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
5. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री ताराचन्द मोठसरा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री दीपक कुलड़िया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 86/69 के खसरा संख्या 338, 344, 889 कुल खसरा 3 की 8.1470 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी जगदीश व प्रतिवादी संख्या 2 सतवीर, प्रतिवादी सख्यां 3 जयपाल तथा प्रतिवादी संख्या 4 दलीप को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:36 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

(मुद्रा: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 87/2025

अनवान :

1. जगदीश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. काशीराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
2. सतवीर पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
3. जयपाल पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. दलीप पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा।
5. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबंधक।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री ताराचन्द मोठसरा **: वादी**

वकील श्री दीपक कुलड़िया **: प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

दिनांक : 02.07.2025

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 86/69 के खसरा संख्या 338, 344, 889 कुल खसरा 3 की 8.1470 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में जगदीश पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी कलाना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा कलाना खाता संख्या 86/69 संवत 2074-77 प्रदर्श 1, आधार कार्ड जगदीश चित्रप्रति प्रदर्श 2 ए, जमाबंदी रोही मौजा कलाना संवत 2042 खाता संख्या 163/173 प्रदर्श 3, शपथ पत्र जगदीश बाबत सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरीत असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा कलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 86/69 के खसरा संख्या 338, 344, 889 कुल खसरा 3 की 8.1470 है0 बारानी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता संख्या 86/69 के खसरा संख्या 338, 344, 889 कुल खसरा 3 की 8.1470 है0 बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 काशीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी जगदीश व प्रतिवादी संख्या 2 सतवीर, प्रतिवादी सख्यां 3 जयपाल तथा प्रतिवादी संख्या 4 दलीप को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.25...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Kalpit

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:47:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner